

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
48/22	212 RTA	तेलनी	दुडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
दारवा बाई	बनाम	सुनका	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

28/6/22
 उपरोक्त प्राची द्वारा प्राची की पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विच्छेद अप्राची गणों के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिफ्रेट सारिस्ता का अवलोकन किया वकील प्राची की एक पक्षीय वडा सुनी गई ग्राम तेलनी तहसील दुडा की आराजी ख.न. 187/3 रकबा 4.17 बीघा भूमि के मौका एक रिकार्ड की आगामी तारीख तथा मथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्राची गण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त वदग्रस्त आराजी का दान रद्द वेश्या आदि न हो स्वयं करें। और न ही अपने प्रतिनिधियों से करीब। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राची गणों को जरिये समस्त तलक कर पत्रावली दिनांक 2/8/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा जिला बारां (राज.)

28/10/22
 पत्रावली पेश हुई। कुलार् करीबेन उपस्थित प्रतिवादी कुम 2 की तलवी समस्त वद तामील भारत। वावगुद सूचना के अनुपस्थित। इसके विच्छेद एक तरफ कार्यवाही की जाती है। प्रति कुम 1 की तलवी हेतु तजवली पेश करें। वास्ते तलवी पत्रावली दिनांक 10/10/22 को पेश हो।

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

3.8.24

आका. शैक्षणिक अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 28.10.24 को पेश हो।

आका. शैक्षणिक अधिकारी एवं अधिकारी (आ.श.)

28/10/24

पत्रावली में एक वकील शर्मा उपर. वकील शर्मा शर्मा को ठीक मालूम नहीं पाएते हैं, अलत अलत मालूम पाएते हैं शर्मा का शर्मा पर अलत अलत से जांच किया जात है पत्रावली में एक अलत अलत का वकील शर्मा को जांच किया जात है

Not Recd. [Signature]

आका. शैक्षणिक अधिकारी एवं अधिकारी (आ.श.)